

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(एच-159/1992)/अलेसे-III/270

दिनांक :- 21.02.2018

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 263/2017-18 दिनांक 24.12.2017 के द्वारा श्री हरलाल हरिजन, कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण संयुक्त निदेशक, श्रेत्रीय कार्यालय, स्था. निधि एवं अंकेक्षण विभाग, कोटा से उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय, सांगोद (कोटा) किया गया था। परन्तु आदिनांक तक श्री हरलाल हरिजन, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा उक्त आदेश की तामील नहीं की गई है। अतः श्री हरलाल हरिजन, कनिष्ठ लेखाकार को निदेशालय स्तर से कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने नवीन पदस्थापन पर तुरन्त प्रभाव से उपस्थित हो कर अपनी उपस्थित निदेशालय को प्रेषित करें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(एच-159/1992)/अलेसे-III/270

दिनांक :- 21.02.2018

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक, श्रेत्रीय कार्यालय, स्था. निधि एवं अंकेक्षण विभाग, कोटा।
2. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय, सांगोद (कोटा)।
3. कोषाधिकारी, कोटा।
4. श्री हरलाल हरिजन, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, श्रेत्रीय कार्यालय, स्था. निधि एवं अंकेक्षण विभाग, कोटा।
5. पदस्थापन सीट/ निजि /रक्षित पत्रावली।
6. उप निदेशक (एल.जी.) को विभागीय लेखागार या अपलोड करने हेतु।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)